

PAK-579
15/2/18

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प0 12(1)चिस्वा/2/2018/विविध

जयपुर, दिनांक: - 9.2.18

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

1237

विषय :- डॉ मधु महला द्वारा कार्यग्रहण में अभिवृद्धि हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में।
9 FEB 2018

महोदय,

Health
14/2/18
ATC

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.10.97 के अनुसार नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र जारी होने की तिथी से अधिकतम छः माह तक कार्यग्रहण में अभिवृद्धि प्रदान की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में चिकित्सक को दिनांक 12.07.17 को नियुक्ति पत्र जारी किया तथा दिनांक 31.12.17 तक कार्यग्रहण में अभिवृद्धि भी प्रदान की गई।

BRW

अतः नियमानुसार चिकित्सक को कार्यग्रहण हेतु अभिवृद्धि प्रदान नहीं की जा सकती है। तदनुसार चिकित्सक को सूचित करें।

15/2/18

भवदीय,

51.2
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: संस्था/चि0अ0/एटी/प.02/2018/95

दिनांक 22/02/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-संबंधित।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर।
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु0स्वा0केन्द्र लक्ष्मणगढ, अलवर।
4. डॉ0 मधु महला, चिकित्सा अधिकारी पत्नी श्री श्रवण कुमार देवन्दा निवासी- गोरधनपुरा तहसील- दांता रामगढ, जिला-सीकर।
5. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश का विभाग की वेबसाइट/संबंधित की ई-मेल आई.डी. पर डालवाना सुनिश्चित करावें।
7. निजि/आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।